भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2317

16 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए

स्टील स्क्रैपर्स

2317. श्री विष्णु दयाल राम:
श्रीमती अपराजिता सारंगी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति के अंतर्गत की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार घरेलू के साथ-साथ वाणिज्यिक स्तर पर स्टील स्क्रैप सामग्री के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) स्टील पुनर्चक्रण और स्क्रैपिंग के क्षेत्र में कार्यशील पंजीकृत और अपंजीकृत संस्थाओं की संख्या का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार अपंजीकृत और छोटे पैमाने के स्टील स्क्रेपर्स को एकीकृत करके इन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए कोई कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है;

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने स्क्रैप स्टील की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ज) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)**

(क) से (ग): इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को दिनांक 07 नवंबर, 2019 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। इस नीति में विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फेरस स्क्रैप के वैज्ञानिक प्रसंस्करण एवं पुनर्चक्रण हेतु भारत में धातु स्क्रैप केन्द्रों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने एवं प्रोत्साहित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की गई है। इस नीति की रूपरेखा में प्रदूषण को रोकने और स्वास्थ्य संबंधी

खतरों की रोकथाम करने के लिए संगठित, सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से उचित तरीकों से संग्रहण, विघटन एवं श्रेडिंग गतिविधियों हेतु मानक दिशा-निर्देशों का प्रावधान किया गया है।

इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति के अंतर्गत सरकार की भूमिका, उद्यमियों एवं निवेशकों के लिए देश में स्क्रैपिंग केन्द्रों को स्थापित करने हेतु अनुकूल पारिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए एक सुविधाप्रदाता की है।

(घ): इस्पात पुनर्चक्रण एवं स्क्रैपिंग क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत एवं अपंजीकृत प्रतिष्ठानों की राज्य-वार एवं वर्ष-वार संख्या का ब्यौरा सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। स्क्रैपिंग केन्द्रों को राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

(ङ) और (च): भारत सरकार ने पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों का पर्यावरण अनुकूल तरीकों से सुरक्षित भंडारण, प्रशोधन और निपटान सुनिश्चित करने के लिए परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) [एचओडब्ल्यूएम] नियम, 2016 को अधिसूचित किया है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की है, जिसमें पुराने, अनुपयुक्त प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध रूप से हटाने के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण हेतु प्रोत्साहन और निरुत्साहन प्रणाली शामिल है।

(छ) और (ज): भारतीय मानक ब्यूरो ने स्क्रैप के वर्गीकरण के लिए आईएस 2549:1994 - प्रसंस्कृत फेरस स्क्रैप के वर्गीकरण का कोड तैयार किया है।

****